



# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 43 / SEIAA/2021

Date: 6/4/22

प्रति,

प्रियांश चौबे,  
निवासी-40, राज स्मार्ट, छत्रसाल नगर,  
फेस-2, नियर नोबल इलेक्ट्रॉनिक्स,  
जिला भोपाल (म.प्र.)-462023

विषय :- प्रकरण क्रमांक 8751/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शम्भवी एसोसियेट, प्रो. श्री संजय नगायच, निवासी-झरकुआ, तहसील अमानगंज, जिला पन्ना (म.प्र.)-488441 द्वारा पत्थर खदान, खसरा उत्पादन क्षमता 2,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 655 (पी), रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम महेबा, तहसील गौरीहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

प्रकरण पर 709वी SEIAA बैठक दिनांक 07.03.2022 में चर्चा अनुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया .....

"SEAC द्वारा 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में प्रकरण SEIAA को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। यह प्रकरण स्टोन माइनिंग से संबंधित है जिसकी पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा 525वीं सेक बैठक दिनांक 10/11/21 के माध्यम से सिया को प्रेषित की जा चुकी है। श्री प्रियांश चौबे, भोपाल ने अपने पत्र दिनांक 07/2/22 के माध्यम से इस प्रकरण में शिकायत प्रेषित की है जो आगामी कार्यवाही हेतु सिया की अग्रोषित है।

उपरोक्त प्रकरण में SEAC द्वारा 525वी बैठक दिनांक 10.11.2021 में की गई अनुशंसा उपरांत SEIAA की 695वी बैठक दिनांक 09.11.2021 में कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना का पत्र क्र.1073 दिनांक 24.08.2021 द्वारा जारी प्रस्तावित खदान की के 500 मीटर की परिधि में 01 पत्थर खदान रकबा 2.0 हेक्टेयर है, जिसे निरस्त कर दिया गया है वह क्षेत्र खुला घोषित किया गया है। इसी आधार पर प्रकरण को बी-2 श्रेणी में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 12.01.2022 के द्वारा प्रदान की गई। संबंधित को सूचनार्थ।

उपरोक्त निर्णयानुसार कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना द्वारा पत्र क्र.1073 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से स्वीकृत प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य पत्थर खदान रकबा 2.0 हेक्टेयर है को निरस्त कर खुला क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी आधार पर प्रकरण को बी-2 श्रेणी में मान्य करते हुए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 12.01.2022 के द्वारा प्रदान की गई।

क्र. 44 /SEIAA/2022

भोपाल दिनांक 6/4/22

(श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

- मेसर्स शम्भवी एसोसियेट, प्रो. श्री संजय नगायच, निवासी-झरकुआ, तहसील अमानगंज, जिला पन्ना (म.प्र.)-488441 की ओर सूचनार्थ।

सदस्य सचिव